

विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय बुधवार हेतु निर्धारित श्री अरूण पाठक, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तरालेख।

क्र०सं०

प्रश्न

उत्तर

- 3(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1206 सा०प्र०/2023-69 टी०आर० 2022, दिनांक 21.12.2023 द्वारा जिला विद्यालय सुरक्षा समिति की बैठक में जनपद के जन प्रतिनिधियों को विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित करने हेतु समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया गया था? जी हाँ।
- (ख) यदि हाँ, तो प्रश्नकर्ता को कानपुर देहात में जिला विद्यालय सुरक्षा समिति की बैठक जो दिनांक 27.01.2024 और 23.07.2024 को आहूत की गई थी जिसमें शासन द्वारा की गई अपेक्षा अनुसार आमंत्रित किया गया था? जी नहीं।
- (ग) यदि नहीं, तो शासन द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार काम न करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई? कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ०प्र० के पत्र संख्या-261 सा०प्र०/2025-04टीआर/2025, दिनांक 25 फरवरी, 2025 द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को चेतावनी निर्गत करते हुए निर्देशित किया गया है कि जिला विद्यालय यान सुरक्षा समिति की आहूत बैठकों में प्रत्येक दशा में मा० जनप्रतिनिधियों को विशेष सदस्य के रूप में अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाय।
- (घ) यदि नहीं, तो क्यों? प्रश्न नहीं उठता।

दयाशंकर सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
परिवहन विभाग।